न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 203/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/313)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. हरमीत सिह पुत्र ओंकार सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. परमन सिह पुत्र हरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. दीपेन्द्र कौर पत्नी हरमीत सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. छिन्द्रपाल कौर उर्फ रूपिन्द्र कौर पुत्री कर्म सिंह पत्नी सपिन्द्र सिंह आयु 61 वर्ष जाति जटसिख निवासी पतरेवाला, फाजिल्का, पंजाब। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 10.10.2024

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रोशन लाल राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

—निर्णय— **दिनांकः 25.10.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एस, पटवार मण्डल 13 एच ठूडडा की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 22/21 में मुरब्बा नम्बर 29, 30, 35 व मुरब्बा नं0 46/13 में कुल 12.3940 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के पिता ओंकार सिह पुत्र कर्म सिंह व वादी संख्या 1 की भुआ छिन्द्रपाल कौर पुत्री कर्म सिंह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है। वादी की भुआ का ससुराल पंजाब में है तथा वह शादी के पश्चात् पंजाब में अपनी ससुराल में निवास करती है। वादी की भुआ का प्रेम स्नेह वादीगण के प्रति काफी है और वादी की भुआ अक्सर वादीगण के पास ही ज्यादा समय व प्यार व्यतीत करती है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि आज से काफी समय पूर्व पारिवारिक बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपनी उक्त 7335/12394 हिस्सा भूमि वादी व उसके परिवार को सुपुर्द कर रखी है, तब से उक्त भूमि पर वादी ही कब्जा काश्त करता आ रहा है। हालांकि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि की कीमत के अनुसार उसको राशि अदा की जा चुकी है। वादीगण उक्त भूमि पर बंटवारा की रूह से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादीगण बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि में फसल काश्त करते है, लेकिन बंटवारा के अनुसार भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। रकबा का बंटवारा व काश्त के अनुसार विभाजन नही होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा का अन्य प्रतिवादीगण से जोत विभाजन करवाकर, अपने नाम से राजस्व अभिलेख में एकल खाता दर्ज करवाने चाहते है और इसी कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा कि वह उक्त भूमि का अंकन वादीगण के हक में करवा देवे, क्योकि पक्षकारान के परिवार में काफी वृद्धि हो गये है, जो कि अपने अपने स्थानो में निवास करते है तथा हम परिवार के संबंध में पूर्व की तरह नही रहे है, वर्तमान में नयी पीढ़ी भूमि को काश्त करने लगी है। राजस्व अभिलेख में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण, अक्सर वाद-विवाद होता है। आज से दस रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 साफ इन्कार हो गई। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 एस, पटवार मण्डल 13 एच की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 22/21 में मुरब्बा नम्बर 29, 30, 35 व मुरब्बा नं0 46/13 में कुल 12.394 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

संख्या 1 छिन्द्रपाल कौर पुत्री कर्म सिंह के नाम से दर्ज भूमि का वादीगण को मुताबिक पारिवारिक बंटवारा के अनुसार बहिस्सा बराबर मालिक खातेदार घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा मिसल पेशी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, पत्रावली दिनांक 22.10.2024 को पेशी में ली गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल राठौड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जिसके अनुसार वादीगण का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है, तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। वादी हरमीत सिंह, परमन सिंह, दीपेन्द्र सिंह व प्रतिवादी छिन्द्रपाल कौर उर्फ रूपिन्द्र कौर के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि राजस्व ग्राम 2 एस, पटवार मण्डल 13 एच की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 22/21 में मुरब्बा नम्बर 29, 30, 35 व मुरब्बा नं0 46/13 में कुल 12.394 हैक्टेयर भूमि में से 7.335 हैक्टेयर भूमि वादीगण को देना तय किया हुआ है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा, राजीनामा एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एस, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 22/21 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 35, 46/13 की कुल 12.394 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्रपाल कौर उर्फ रूपिन्द्र कौर के नाम दर्ज 7.335 हैक्टेयर भूमि का वादीगण हरमीत सिंह (0.757 हैक्टेयर), परमन सिंह(3.289 हैक्टेयर), दीपेन्द्र कौर(3.289 हैक्टेयर) को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

हरमीत सिंह आदि बनाम छिन्द्रपाल कौर आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **203/2024**

निर्णय दिनांक :- 23.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू प्रतिवादी अधिवक्ता श्री रोशन लाल राठौड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एस, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 22/21 के मुरब्बा नम्बर 29, 30, 35, 46/13 की कुल 12.394 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 छिन्द्रपाल कौर उर्फ रूपिन्द्र कौर के नाम दर्ज 7.335 हैक्टेयर भूमि का वादीगण हरमीत सिंह (0.757 हैक्टेयर), परमन सिंह(3.289 हैक्टेयर), दीपेन्द्र कौर(3.289 हैक्टेयर) को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 25.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांकः 25.10.2024

क्रमांकः रीडर/2024/559

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)